न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर (जिला चूरू)

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या 27/2020

अनुवान सुरजनसिंह बनाम राजस्थान राज्य

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट

एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

निर्णय दिनांक 29.09.2020

सुरजनसिंह पुत्र उगमसिंह जाति राजपूत निवासी हरियासर घड़सोतान तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

–वादी

बनाम्

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सरदारशहर जिला चूरू

–प्रतिवादी

उपस्थितिः

1. एडवोकेट श्री शंकरदास स्वामी, श्री प्रितम सिंह शेखावत वास्ते वादी।
2. तहसीलदार सरदारशहर वास्ते प्रतिवादी।

निर्णय

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0 नं0 123, 125, 369, 58 तादादी क्रमशः 2.7000, 7.3000, 6.1500, 0.5100 हैक्टेयर किता 4 कुल तादादी 16.6600 हैक्टेयर रोही हरियासर घड़सोतान तहसील सरदारशहर में स्थित है। वादगत भूमि के राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम सुरजमालसिंह पुत्र उगमसिंह अशुद्ध दर्ज है। जबकि वादी का शुद्ध नाम सुरजनसिंह पुत्र उगमसिंह है। वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। जिसमें राजस्व कर्मचारियों की सहवन से रही लिपिकीय त्रुटि के कारण वादी का नाम सुरजमालसिंह पुत्र उगमसिंह दर्ज कर दिया गया। उसके पश्चात लगातार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादी का नाम सुरजमालसिंह पुत्र उगमसिंह अशुद्ध चला आ रहा है। जबकि वादी का शुद्ध नाम सुरजनसिंह पुत्र उगमसिंह है। वादगत कृषि भूमि में वादी का नाम अशुद्ध दर्ज है। वादगत भूमि का वादी खातेदार काबिज काश्तकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.10.07 12:51:55 IST
Reason: SelfAttested

होने से सहबन से अशुद्ध दर्ज प्रविष्टी को शुद्ध करवाने की घोषणा करवाने का कानूनन अधिकारी है तथा इसी अनुरूप राजस्व अभिलेख शुद्धि करवाने का अधिकारी है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजों आधार कार्ड, सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों में सुरजनसिंह पुत्र उगमसिंह अंकित है। वादी का नाम सुरजमालसिंह पुत्र उगमसिंह हस्तगत अभिलेख के अतिरिक्त कहीं भी अंकित नहीं है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्ध करवाने का वादी कानूनन अधिकारी है। वादी का वास्तविक नाम सुरजनसिंह पुत्र उगमसिंह है जबकि वादगत कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में वादी का सुरजमालसिंह पुत्र उगमसिंह होने के कारण वादी को केसीसी, विभिन्न सरकारी व अन्य कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में अलग–अलग नाम होने से कई कानूनी पेचिदगियों का सामना वादी को करना पड़ता है। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि राजस्व रेकॉर्ड में भूलवश गलत दर्ज नाम सुरजमालसिंह पुत्र उगमसिंह के स्थान पर सही नाम सुरजनसिंह पुत्र उगमसिंह दर्ज करवाये जिसके लिए यह दावा वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

वादी ने कभी अपनी कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड का पता नहीं किया। अब वादी ने पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त करने गया तथा अपना खाता केन्द्र से नकले हासिल की तो वादी को इस गलत राजस्व रेकॉर्ड की जानकारी हुई। राजस्व रेकॉर्ड की नकले प्राप्त करने के बाद वादी तहसीलदार सरदारशहर से मिला और इस गलत राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर वादी का नाम संशोधित करने का निवेदन किया तो तहसीलदार जी ने कहा SDO साहब के यहां कार्यवाही करो। इस प्रकार तहसीलदार सरदारशहर द्वारा इन्कार करने से दावा प्रस्तुत किया हैं।

इस प्रकार वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि कृषि भूमि ख0 नं0 123, 125, 369, 58 तादादी क्रमशः 2.7000, 7.3000, 6.1500, 0.5100 हैक्टेयर किता 4 कुल तादादी 16.6600 हैक्टेयर रोही हरियासर घड़सोतान तहसील सरदारशहर जिला चूरू वादी की खातेदारी कृषि भूमि है जिस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सुरजमालसिंह पुत्र उगमसिंह अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी का सही नाम सुरजनसिंह पुत्र उगमसिंह दर्ज फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। राज पैरोकार उपस्थित आये एवं जबाब दावा पेश किया जिसके अनुसार वादी उगमसिंह का दत्तक पुत्र हैं। उगम सिंह के निधन पश्चात वादी का नाम जरिये इंतकाल न0 153 दर्ज किया गया, जो गोदनामे के आधार पर दर्ज किया गया जिसमें वादी का नाम सुरजमाल सिंह ही अंकित हैं लेकिन वादी का नाम सुरजमाल सिंह पुत्र उगमसिंह के स्थान पर सुरजन सिंह पुत्र उगम सिंह घोषित किये जाने के सम्बनध में राज्य पक्ष ने ऐतराज जाहिर नहीं किया है।

वादी द्वारा साक्ष्यवादी में निम्नांकित प्रदर्श प्रस्तुत किये गये–

1. जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 खसरा नम्बर 123, 125, 369 और 58 की छायाप्रति।
2. सरपंच ग्राम पंचायत हरियासर घड़सोतान का प्रमाण पत्र।

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.10.07 12:51:55 IST
Reason: SelfAttested

3. आधार कार्ड की छायाप्रति।
4. राशन कार्ड की छायाप्रति।

पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात, शपथ पत्र एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान उभय पक्षकारान द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया जिससे यह सामने आया कि वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में वादी के नाम सुरजन सिंह अंकित है।

अतः वर्णित विवेचन से वाद पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता हैं अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि ख0 नं0 123, 125, 369, 58 तादादी क्रमशः 2.7000, 7.3000, 6.1500, 0.5100 हैक्टेयर किता 4 कुल तादादी 16.6600 हैक्टेयर रोही हरियासर घड़सोतान तहसील सरदारशहर जिला चूरू वादी की खातेदारी कृषि भूमि है जिस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सुरजमाल सिंह पुत्र उगमसिंह अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी का सही नाम सुरजमाल सिंह उर्फ सुरजनसिंह पुत्र उगमसिंह दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को निम्नानुसार दिये जाते हैं। पर्चा डीक्री जारी हो।

क्र. सं.	ग्राम	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं)
1.	बुकनसर बड़ा	ख.न. 123 तादादी 2.7000 हैक्टेयर ख.न. 125 तादादी 7.3000 हैक्टेयर ख.न. 369 तादादी 6.1500 हैक्टेयर तथा ख. न. 58 तादादी 0.5100 हैक्टेयर	सुरजमाल सिंह पुत्र उगमसिंह	सुरजमाल सिंह उर्फ सुरजनसिंह पुत्र उगमसिंह

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 29.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.10.07 12:51:55 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D')
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर. ए. एस.)
वादपत्र संख्या 27/2020

अनुवान सुरजनसिंह बनाम राजस्थान राज्य

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट

एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शंकरदास स्वामी एवं श्री प्रितम सिंह शेखावत एडवोकेट एवं पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तथा वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि ख0 नं0 123, 125, 369, 58 तादादी क्रमशः 2.7000, 7.3000, 6.1500, 0.5100 हैक्टेयर किता 4 कुल तादादी 16.6600 हैक्टेयर रोही हरियासर घड़सोतान तहसील सरदारशहर जिला चूरू वादी की खातेदारी कृषि भूमि है जिस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सुरजमालसिंह पुत्र उगमसिंह अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी का सही नाम सुरजमाल सिंह उर्फ सुरजनसिंह पुत्र उगमसिंह दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को निम्नानुसार दिये जाते हैं। पर्चा डीक्री जारी हो।

....बीज............ ....मुबलि ....बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 09 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत....................

मुहर

ओहदा ....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
मुतफर्रिक	02	00	मुतफर्रिक	00	00
मिजान	07	00	मिजान	00	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.10.07 12:51:55 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.10.07 12:51:55 IST
Reason: SelfAttested